

30/10/23

वारी वहील उपलब्धत / अतिवारी संख्या-1  
दुर्ब में इंडवली ही वारी वहील की एडपक्षिय वदश  
सुनी पभावली व पभावली के संलग्न राजस्व रेडर  
व वारी तथा अतिवारी की कोर के अस्तुत साक्ष्य वाप्य-  
पत्रो का क्रवलीडन विभा गण, बाद क्रवलीडन उक्त  
बिवादित करानी वारीगण की फेसुड साबित होली है।  
मिशाज वारीगण का बाद स्वीकार विभा जाडर निर्णय  
मलग से लिखा जाडर शामिल पभावली विभा गण।  
डिमी पचा जारी होडर पभावली फैसल कुमार ही  
इज नामबर से डम ही दाखिल दफतर ही।

वि. च. पा. २  
सहायक कलक्टर (SDO)  
बायतु  
जिला - बाड़मेर

## राजस्थान सरकार

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या-143/2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मांगीलाल पुत्र अमराराम 2. विशनाराम पुत्र अमराराम 3. जस्साराम पुत्र अमराराम जाति जाट नवासी मगोणी नगर तहसील बायतु		1. अमराराम पुत्र आईदानराम जाति जाट निवासी मगोणी नगर तहसील बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :-

1 श्री घमण्डाराम सारण वकील वादीगण

:- निर्णय :-

दिनांक : 30/10/2023

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरुद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक व संयुक्त कब्जा शुदा खातेदारी की भूमि मौजा मगोणी नगर पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 760/733, 834/759 रकबा 11.4150, 23.9869 व मौजा ग्राम मगोणी नगर पटवार हल्का बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 835/602, 837/733 रकबा क्रमशः 3.5596, 1.6180 हैक्टेयर में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही पूर्वज के वंशज है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जेकाश्त की थी तथा सेटलमेंट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वाद ग्रस्त भूमि पर वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं के तथा बाद में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उत्तराधिकारी है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरुष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात् पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वाद ग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं विशनाराम पुत्र अमराराम का शपथपत्र PW 1 व PW 2 जस्साराम पुत्र अमराराम स्वतंत्र गवाह के रूप में PW 3 हरदेवराम पुत्र वालाराम जाति जाट निवासी मगोणी नगर के शपथपत्र पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं अमराराम पुत्र आईदानराम का शपथपत्र DW 1 पेश किये गये।

सहायक कलक्टर  
(SDO) बायतु



न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया था। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेंट के समय वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से पर्चा लगाने जारी हुआ था तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 आईदानराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद-पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा मगोणी नगर पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 760/733, 834/759 रकबा 11.4150, 23.9869 व मौजा ग्राम मगोणी नगर पटवार हल्का बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 835/602, 837/733 रकबा क्रमशः 3.5596, 1.6180 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि यदि बैंक में रहन है तो पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।



\* निर्णय आज दिनांक 30/10/2023 को खुली अदालत में सुनाया गया।

*(Handwritten signature)*

(वित्तिक व्याप्त)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

*(Handwritten signature)*  
30/10/2023

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु  
(SDO) बायतु

**अन्तिम डिक्री**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु**  
पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. मांगीलाल पुत्र अमराराम		1. अमराराम पुत्र
2. विशनाराम पुत्र अमराराम		आईदानराम जाति जाट
3. जस्सराम पुत्र अमराराम		निवासी मगोणी नगर
जाति जाट नवासी मगोणी		तहसील बायतु
नगर तहसील बायतु		

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या-143/2023

दिनांक :- 30.10.2023


वादीगण वकील श्री घमण्डाराम सांरण व प्रतिवादी संख्या 1 के स्वयं की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30/10/23 को न्यायालय में सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मगोणी नगर पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 760/733, 834/759 रकबा 11.4150, 23.9869 व मौजा ग्राम मगोणी नगर पटवार हल्का बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 835/602, 837/733 रकबा क्रमशः 3.5596, 1.6180 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण को बाहिस्सा बराबर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि यदि बैंक में रहन है तो पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।


खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 30/10/2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



  
(विवेक व्यास)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वादी		प्रतिवादी	
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	रुपया		रुपया
2. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	शून्य	शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	शून्य
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
4. .... रुपयेपरप्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6. कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
7. आदेशिका की तामील		कमिश्नर की फीस	
जोड़	शून्य	जोड़	शून्य

  
30.10.2023  
सहायक कलक्टर, बायतु  
सहायक कलक्टर  
(SDO) बायतु